माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र नाथ मित्तल के सामने,

दलीपा,-याचिकाकर्ता,
बनाम
रुलिया, प्रतिवादी।
1979 का नागरिक संशोधन संख्या 750।
28 जनवरी 1980।

सिविल प्रक्रिया संहिता (V ऑफ 1908) - धारा 151 और ऑर्डर 9 नियम 8 - सीमा अधिनियम (XXXVI ऑफ 1963) - अनुच्छेद 122 और 137 - वादी के साक्ष्य के लिए तय किया गया मुकदमा - वादी द्वारा पहले की तारीख के लिए निर्धारित विविध आवेदन - वादी आवेदन की सुनवाई की तारीख पर अनुपस्थित - अदालत ने डिफ़ॉल्ट रूप से मुकदमे को खारिज कर दिया - मुकदमे की बहाली के लिए आवेदन - ऐसे आवेदन के लिए सीमा की अवधि - अनुच्छेद 122 - चाहे लागू हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां वादी द्वारा दायर मुकदमा उसके साक्ष्य के लिए तय किया गया है और उसके द्वारा दायर एक विविध आवेदन पहले की तारीख पर सुनवाई के लिए आता है और वादी उपस्थित नहीं है, अदालत ऑर्डर 9 नियम 8 के तहत मुकदमे को खारिज नहीं कर सकती है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, क्योंकि यह प्रावधान करती है कि जहां प्रतिवादी उपस्थित होता है और जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया जाता है तो वादी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय आदेश देगा कि उक्त मुकदमा खारिज कर दिया जाए। शब्द "मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया है" महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों से पता चलता है कि मुकदमे की सुनवाई के लिए वह तारीख तय की जानी चाहिए जिस दिन उपरोक्त नियम के तहत कार्रवाई की जाती है। हालाँकि, जहाँ मुकदमा सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया था और एक विविध आवेदन तय किया गया था, वादी की उपस्थिति के अभाव में आवेदन को खारिज किया जा सकता था, लेकिन मुकदमे को नहीं। परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 122 किसी मुकदमे की बहाली के लिए 30 दिनों की अवधि प्रदान करता है, यदि उसे वादी की उपस्थिति में चूक के कारण खारिज कर दिया गया हो। यह अनुच्छेद तब लागू होगा जब मुकदमा सुनवाई के लिए तय किया गया हो और वादी की उपस्थिति में चूक के कारण खारिज कर दिया गया हो। यदि मुकदमा सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया है और अदालत उस आधार पर इसे खारिज कर देती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने उस अनुच्छेद के अर्थ के तहत उपस्थित होने में चूक की थी। उस स्थिति में, अनुच्छेद 137 जो एक अवशिष्ट अनुच्छेद है और आवेदन करने के लिए तीन साल की सीमा प्रदान करता है, लागू होगा, न कि अनुच्छेद 122। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियों में आवेदन संहिता की धारा 151 के तहत होगा। (पैरा 4 और 5)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री राज कुमार गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के न्यायालय के 4 दिसंबर, 1978 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसमें श्री आर.डी. अनेजा, अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, करनाल के 18 अगस्त, 1975 के फैसले की पुष्टि करते हुए, याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील वी.के. बाली।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता एच.एस.हुड्डा।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र नाथ मित्तल, (मौखिक)।

1. यह पुनरीक्षण याचिका वादी द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के 4 दिसंबर, 1978 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि वह विवादित संपत्ति के आधे हिस्से का मालिक है। वादी की गवाही के लिए मुकदमे की तारीख 6 जून, 1972 तय की गई थी। उस तारीख को वादी की ओर से कोई गवाह अदालत में मौजूद नहीं था और मामले को 28 अगस्त, 1972 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। कुछ विविध मामले अदालत के सामने आए थे 19 जुलाई 1972 को, जिस दिन वादी उपस्थित नहीं था। न्यायालय ने उस तिथि को डिफ़ॉल्ट रूप से मुकदमा खारिज कर दिया। मुकदमे की बहाली के लिए वादी द्वारा 3 अक्टूबर, 1972 को एक आवेदन दायर किया गया था। आवेदन का प्रतिवादी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि वादी की गैर-उपस्थिति के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं थे और आवेदन अवधि सीमा के भीतर नहीं था। पक्षों की दलीलों पर ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

> 1. क्या उपस्थित न होने का वादी का पर्याप्त कारण था, मुकदमा कब सुनवाई के लिए बुलाया गया और खारिज कर दिया गया?
>
> 2. क्या याचिका निर्धारित सीमा के सीमा की अवधि के भीतर दायर की गई है?

न्यायालय द्वारा दोनों मुद्दों का निर्णय वादी के विरुद्ध किया गया। परिणामस्वरूप, आवेदन को खारिज कर दिया गया। वादी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष अपील में गया, जिन्होंने मुद्दे संख्या 1 पर निष्कर्ष को उलट दिया और माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा 19 जुलाई, 1972 को मुकदमा खारिज करना पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि

मुकदमा उस तारीख को सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता के उक्त तिथि पर उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण थे। मुद्दे संख्या 2 पर, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष की पुष्टि की और माना कि आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 122 द्वारा शासित था और सीमा के भीतर नहीं था। नतीजतन, उन्होंने अपील खारिज कर दी। वादी उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में इस न्यायालय में आया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि मामला 19 जुलाई 1972 को सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया था, जब इसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। उनका कहना है कि इसलिए, बर्खास्तगी को नियम 8 ऑर्डर 9, सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) या उक्त आदेश के किसी अन्य नियम के तहत नहीं कहा जा सकता है। वकील के मुताबिक ऐसी परिस्थिति में लिमिटेशन एक्ट 1963 का अनुच्छेद 122 लागू नहीं होगा और अनुच्छेद 137 लागू होगा। अपने तर्क के समर्थन में वह रहीमुद्दीन शेख और अन्य बनाम सरीफान नेसा और अन्य[1], राम रेड्डी और अन्य बनाम येनका[2] और विश्वनाथ नागनाथ अंडागे बनाम महादेव सुल्तानप्पा वाघमोड़े और अन्य[3] पर भरोसा करते हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी संहिता के ऑर्डर 9 नियम 8 के तहत थी और आवेदन सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 122 द्वारा शासित था।

4. मैंने विद्वान वकील को सुना है और तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है। हालाँकि, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क से सहमत हूँ। मामले के तथ्य विवादित नहीं हैं। मामले को वादी की गवाही के लिए 6 जून, 1972 को तय किया गया था और उस तारीख को उसकी गवाही के लिए 28 अगस्त, 1972 के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस तारीख से पहले, वादी का एक विविध आवेदन 19 जुलाई, 1972 को सुनवाई के लिए आया था। उस तिथि पर वादी उपस्थित नहीं था। न्यायालय ने उस आवेदन को खारिज करने के बजाय, निरीक्षण के माध्यम से, मुकदमे को खारिज कर दिया। न्यायालय ऑर्डर 9, नियम 8 के तहत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि जहां प्रतिवादी उपस्थित होता है और जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया जाता है तो वादी उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय आदेश देगा कि मुकदमा खारिज कर दिया जाए। शब्द "मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया है" महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दों से पता चलता है कि वर्तमान मामले में, मेरे अनुसार नियम के तहत डब्ल्यूएमसीटीआई एक्यूऑन पर यूसीआईएलयू के लिए मुकदमा सुनवाई के लिए तय किया जाना चाहिए, हालांकि, मुकदमा सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया था। दूसरी ओर विविध आवेदन उस तिथि

---

[1] ए आई आर 1954 असम 92

[2] ए आई आर 1956 हैदराबाद 139

[3] ए आई आर 1940 बॉम्बे 40

पर तय किया गया था और वादी की उपस्थिति के अभाव में वह आवेदन खारिज किया जा सकता था। परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 122 किसी मुकदमे की बहाली के लिए 30 दिनों की अवधि प्रदान करता है, यदि उसे वादी की उपस्थिति में चूक के कारण खारिज कर दिया गया हो।

(5) यदि मुकदमा सुनवाई के लिए तय किया जाता है और वादी की उपस्थिति में चूक के कारण खारिज कर दिया जाता है तो अनुच्छेद 122 लागू होगा। यदि मुकदमा सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया है और न्यायालय उस आधार पर इसे खारिज कर देता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने उस अनुच्छेद के अर्थ के तहत उपस्थित होने में चूक की है। उस स्थिति में, अनुच्छेद 137, जो एक अवशिष्ट अनुच्छेद है और आवेदन करने के लिए तीन साल की सीमा प्रदान करता है, लागू होगा। यह भी स्पष्ट किया जाए कि ऐसी परिस्थितियों में आवेदन संहिता की धारा 151 के तहत होगा। उपर्युक्त दृष्टिकोण में मैं रहीमुद्दीन शेख के मामले (सुप्रा) में एक डिवीजन बेंच की टिप्पणियों से दृढ़ हूं, जिसमें यह माना गया था कि जहां सुनवाई की तारीख तय नहीं की गई है या वादी या याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया है, ऑर्डर 9 नियम 8 है कोई आवेदन नहीं होगा और आवेदन की बहाली के लिए सीमा की अवधि सीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 181 के तहत तीन वर्ष होगी, जो एक अवशिष्ट लेख है। आगे यह माना गया कि ऐसे मामले में बहाली आवेदन केवल धारा 151 के तहत किया जा सकता है, न कि ऑर्डर 9 नियम 9 के तहत और अनुच्छेद 163 लागू नहीं होगा। इसी तरह का दृष्टिकोण राम रेड्डी के मामले (सुप्रा) में हैदराबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा लिया गया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 163 और 181, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 122 और 137 के बराबर हैं। मैं उपरोक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। हालाँकि, विश्वनाथ नागनाथ अंडगे के मामले (सुप्रा) में टिप्पणियाँ बहुत मददगार नहीं हैं।

(6) वर्तमान संशोधन में, जैसा कि पहले ही कहा गया है, मामले की सुनवाई के लिए 28 अगस्त 1972 की तारीख तय की गई थी और इसलिए, न्यायालय 19 जुलाई 1972 को इसे खारिज नहीं कर सका। नतीजतन, याचिकाकर्ता भीतर बहाली के लिए आवेदन कर सकता है मुक़दमा ख़ारिज होने के तीन साल के भीतर। बहाली के लिए आवेदन तीन साल की अवधि के भीतर स्वीकार्य है और इसलिए, सीमा के भीतर है।

(7) उपरोक्त कारणों से, मैं पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करता हूं, निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करता हूं और मुकदमा बहाल करता हूं। पक्षों को 3 मार्च 1980 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा